कार्यालय परियोजना संचालक
विश्व बैंक परियोजनाएं, जल संसाधन विभाग
स्वारा भवन, लिंक रोड क्रं. 3, कोलार रोड, भोपाल–462016

पत्र क्र. क्यू–1./परि.संचा/एम.एण्ड.ई./पी.ई./212/2017 भोपाल, दिनांक 13/09/2017

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,
समस्त अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री,
समस्त अनुविभागीय अधिकारी,
म.प्र., जल संसाधन विभाग

विषयः–दिनांक 14/09/2017 की स्थिति में irrigation monitoring module में जलाशयों में जलभराव एवं रबी सिंचाई के लक्ष्य 2017–2018 दर्ज करने के संबंध में।

विभागीय वेबसाईट www.mpwrd.gov.in में **irrigation monitoring module** प्रदर्शित है एवं विगत रबी वर्ष सिंचाई की पाक्षिक प्रगति इस माड्यूल में दर्ज की गई थी। इसी माड्यूल में वर्ष 2016–17 मे दिनांक 25–09–2016 की स्थिति में सभी जलाशयों में जल भराव की स्थिति कार्यपालन यंत्री द्वारा दर्ज की गई थी।

वर्ष 2017–18 में अब तक प्रदेश में कम वर्षा की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए, अब इसी माड्यूल में फिलहाल दिनांक **14–09–2017** की स्थिति में सभी परियोजनाओं में जल भराव की स्थिति एवं रबी सिंचाई का लक्ष्य दर्ज किया जाना है। समीक्षा बैठकों के बाद इन लक्ष्यों अथवा जल भराव की स्थिति को आवश्यक होने पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

कृपया निम्नानुसार विस्तृत प्रकिया का पालन कर दिनांक 18.09.2017 तक माड्यूल में सभी परियोजनाओं में जल भराव की स्थिति एवं रबी सिंचाई का लक्ष्य दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें –

कार्यपालन यंत्री के लिये–

A. **संभाग की सिंचाई योजनाओं के नाम, प्रकार केटेगरी, सी.सी.ए. एवं संबंधित उपसंभाग की एंट्री का सत्यापन–**

(i) www.mpwrd.gov.in में EIMS Portal पर click करें login window में user id एवं password डालें और login button पर click करें। Open होने वाली माड्यूल लिस्ट में से Irrigation Monitoring module पर click करें।

(ii) **Set/update irrigation target** पर click करें।

(iii) अब sub division select करें और Generate button पर click करें।

(iv) उक्त sub division से संबंधित योजनाओं की सूची प्रदर्शित होगी। इनका सत्यापन कर लें। संभव है कि

a) कोई योजना ऐसी प्रदर्शित हो रही हो जो उस उपसंभाग में स्थित नहीं है, इस प्रकार की योजना को उस उपसंभाग से हटाने हेतु eimsno2015@gmail.com पर मेल करें।

b) किसी योजना के उपसंभाग में परिवर्तन किया जाना हो या

c) कोई ऐसी योजना हो जिसका नाम नहीं हो (नवीन पूर्ण/आंशिक पूर्ण योजना ऐसी हो सकती है) तो उसे जोड़ने के लिए भी योजना की जानकारी संलग्न **प्रपत्र 1** में eimsno2015@gmail.com पर भेजें।

Scanned by CamScanner

B. **सिंचाई योजनाओं के योजनावार, उपसंभागवार लक्ष्य एंट्री करना–**

(i) योजना के नाम के सामने Rabi design irrigation, RL(in M), 14-09-2017 को live capacity (In MCM), Rabi target 2017-18 एवं रिमार्क कालम होंगे।

(ii) प्रत्येक योजना में 14–09–2017 की live capacity अनिवार्यरूप से भरें। ध्यान रखें कि Capacity MCM हो और यदि शून्य हो तो शून्य ही भरी जाए।

(iii) योजना का रबी सिंचाई का लक्ष्य भरें।

(iv) जिस योजना से रबी सिंचाई नहीं की जानी है उनमें लक्ष्य शून्य भरें, किन्तु लक्ष्य शून्य होने का कारण रिमार्क में अवश्य दें।

(v) ऐसी योजना जिसमें जल भराव नहीं हुआ हो, अथवा जल भराव 50 प्रतिशत से कम हो ऐसी योजना के सामने रिमार्क कालम में इसका कारण स्पष्ट एवं संक्षेप में लिखें।

C. **सिंचाई योजनाओं में अतिक्रमण है अथवा नहीं की जानकारी –**

1. प्रत्येक योजना के रिमार्क कालम में अतिक्रमण है अथवा नहीं की जानकारी आवश्यक रूप से भरी जानी है। यदि किसी जलाशय के डूबान/ बांध क्षेत्र में कोई अतिक्रमण हो तो, इसके लिए रिमार्क कालम में **केवल "YES"** अन्यथा **"NO" लिखें।**

उपरोक्तानुसार जल भराव की एंट्री दिनांक <u>18.09.2017</u> तक आवश्यक रूप पूर्ण कर लें।

संबंधित मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री कृपया सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्तानुसार सभी संभाग निर्धारित तिथि तक जलभराब/रबी लक्ष्य की जानकारी दर्ज हो जावें।

इस मॉड्यूल के संबंध में यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई या तकनीकी समस्या हो तो हेल्पलाईन नं. 9201666644/55 पर अथवा ई–मेल helpdesk@mpwrd.gov.in अथवा eimsno2015@gmail.com पर संपर्क करें।

संलग्नः– प्रपत्र–1

(वाय.सी.शर्मा)
प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट
विश्व बैंक परियोजनाएं
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृ. क्र. क्यू./परि.संचा/एम.एण्ड.ई./पी.ई./212/2017 भोपाल, दिनांक 13/09/2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. वेब मेनैजर, पाईकू, की ओर विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

(वाय.सी.शर्मा)
प्रोक्योरमेंट एक्सपर्ट
विश्व बैंक परियोजनाएं
जल संसाधन विभाग, भोपाल

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–1

कोई योजना छूट गई हो या नवीन पूर्ण/आंशिकपूर्ण योजना का नाम माड्यूल में सम्मिलित करने के लिये न्यूनतम विवरण।

S. No	Name of Sub Division	Name of Scheme	Type (tank/Barrage/weir/LIS etc.)	Category (Major, Medium, Minor)	CCA	Design Irr (Rabi/kharif)	Live capacity at FRL(In case of tank)	Remark

Scanned by CamScanner